रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एच.आर.-अ.-18062026-273572
CG-HR-E-18062026-273572

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948
No. 383]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान

अधिसूचना

फरीदाबाद, 20 मई , 2026

फा. स. ए/4/2026.— प्रशासन राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान सोसायटी के नियमों एवं विनियमों के नियम 6.3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गयाहैया करने का लोप किया है, समय-समय पर यथा संशोधित वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग (निदेशक, NIFM) के भर्ती नियम, 2000,का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद द्वारा निदेशक, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम औ रप्रारंभ—**

(1)इन नियमों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (निदेशक, AJNIFM) भर्ती नियम, 2025 कहा जाए।

(2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या एवं वेतनमान—**उक्त पद की संख्या तथा उन से संबद्ध नए वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (3) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य** अर्हताऐं **आदि—**भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताऐं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगी।

4. **निरर्हता—वह व्यक्ति—**

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है; विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सविंदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्र सरकार को यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

अनुसूची

पद का नाम	**पदोंकी संख्या**	**नए वेतन मैट्रिक्स**	**चयन अथवाअचयनपद**	**क्या सीएसएस (पेंशननियम), 1972 के नियम 30 के तहत सेवा के अतिरिक्त वर्षों का लाभस्वीकार्य है**	**सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा**	**सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ**	**क्या सीधी भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नति के मामले में लागू होंगी**	**परिवीक्षा की अवधि यदि,कोई हो**
1	2	3	4	5	6	7	8	9
निदेशक (अ.जे.रा.वि. प्र. सं.)	01 (एक)	नए वेतन मैट्रिक्स का स्तर–16	चयन	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू होगी	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति प्रोन्नति से या सीधी भर्ती से या प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरणद्वारा और विभिन्न पद्धतियों से रिक्तियोंको भरने का प्रतिशत।	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण ग्रेड द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनमें प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इस की सरंचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्शकिया जाएगा
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति/ पुनर्नियोजन/ अल्पकालिक संविदा	भारतीयलेखापरीक्षाएवंलेखासेवा, भारतीयसिविललेखासेवा, भारतीयलागतलेखासेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा,भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा तथा भारतीय रेलवे लेखा सेवा से संबंधित वे अधिकारी जिन्होंने HAG ग्रेड में एक वर्ष की नियमित सेवा या SAG में 04 (चार) वर्ष की नियमित सेवा की हो। पुनर्नियोजन 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष की अवधि तक, जो भी पहले हो, तक अनुमत होगा। प्रतिनियुक्ति के लिए, आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को आयु 58 (अट्ठावन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।	चयन समिति सचिव (व्यय) – अध्यक्ष एवं निम्नलिखित में से 02 सदस्य बारी-बारी से i. फाइनेंशियल कमिशनर रेलवे बोर्ड - सदस्य	लागू नहीं

	(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।)	ii. उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - सदस्य iii. वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवाएँ), रक्षा मंत्रालय - सदस्य iv. महालेखा नियंत्रक–सदस्य	

प्रोफेसर (डॉ.) ब्रजेश कुमार, संकाय प्रभारी (प्रशासन)

[विज्ञापन-III/4/असा./150/2026-27]

ARUN JAITLEY NATIONAL INSTITUTE OF FINANCIAL MANAGEMENT

NOTIFICATION

Faridabad, the 20th May, 2026

F. No. A/4/2026.—Administration: In exercise of the powers conferred by rule 6.3 of the Rules & Regulations of National Institute of Financial Management Society, and in supersession of the Ministry of Finance, Department of Expenditure (Director, NIFM) Recruitment Rules, 2000 as amended from time to time, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director, Arun Jaitley National Institute of Financial Management (AJNIFM) namely:—

1. **SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:**
   1. These rules may be called Director, AJNIFM Recruitment Rules, 2025.
   2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of Posts and scale of pay:**The number of the said post, and New Pay Matrix Level attached thereto shall be as specified in columns 2 and 3 of the said schedule.
3. **Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.:**

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post be as specified in columns 4 to 13 of the above said schedule.

4. **Disqualification:-**No Person—

   a. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living,

   or

   b. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person**,**

   shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:-Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	New Pay Matrix	Whether Selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of CSS (Pension) Rules, 1972	Age limit for the direct recruits	Educational and other Qualifications required for direct recruits	Whether age and education qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees	Period of probation if any
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Director (AJNIFM)	01 (One)	Level-16 of the Pay Matrix	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Method of recruitment whether by promotion or direct recruitment or by deputation/ transfer and percentage of posts to be filled by various method	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
10	11	12	13
Deputation / Re-employment / Short-term contract	**Officers belonging to Indian Audit and Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian Cost Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian P & T Accounts and Finance Service and Indian Railways Accounts Service with one year regular service in HAG Grade or with 4 (four) years regular service in SAG.** Re-employment would be permissible up to 65 years of age or for a period of 5 years, whichever is earlier. **For deputation, age shall not exceed 58 (fifty eight) years on the closing date of receipt of application.** (Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization shall ordinarily not exceed five years).	Selection Committee: 1. Secretary (Expenditure) – Chairman Chairman and 2 members from the following by rotation: (i) Financial Commissioner,– Member Railway Board (ii) Dy. C & AG – Member (iii) Financial Adviser (Defence– Member Services) Ministry of Defence (iv) CGA – Member	Not Applicable

Prof. (Dr.) BRAJESH KUMAR, Faculty In-charge (Administration)

[ADVT.-III/4/Exty./150/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.06.18 16:05:24 +05'30'